

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
हाजीपुर

सं० - ईसीआर/एचआरडी/सेटलमेंट/एआईपीए/21

दिनांक: 13.08.2021

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर ।

24/8/2021

विषय :- दिनांक 15.12.2021 को आयोजित होने वाले पेंशन अदालत हेतु
अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन ।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं०:- E(W)2019/PA-1/2 Dated 20.08.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आलोक में पूर्व मध्य रेल के अन्तर्गत पेंशन अदालत
दिनांक 15.12.2021 को आयोजन होना है। इसके लिए प्रकाशित किये जाने वाले
अधिसूचना हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न है।

कृपया अधिसूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन की
व्यवस्था की जाए। साथ ही आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2021 को बोल्ड अक्षरों
में प्रकाशित की जाए।

इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यह सूचना पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, निर्माण
संगठन सहित सभी पॉचो मंडलों के भौगोलिक क्षेत्रों से प्रकाशित हो।

लेखा शीर्ष (Allocation Head 03.313.99)

संलग्न: यथोक्त।

~~सकाधि/एचडीपी - ग्रह जट अक्षरों में है।~~

(सतीश कुमार सिंह)

वकाधि/बिल

कृते महाप्रबन्धक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

RS
24/8/2021

M - A

पेंशन अदालत - 15.12.2021 हेतु सूचना
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2021

पेंशन परिवादो का निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर 2021 को 11.00 बजे निम्नलिखित स्थलो पर किया जायेगा :

| क्रम सं० | पेंशन अदालत हेतु आयोजन स्थल | उनके लिए जो निम्न जगह से सेवानिवृत्त हुए | विवरण किन्हे संबोधित करें |
|----------|--|---|--|
| 1. | जोनल मुख्यालय/ पूर्व मध्य रेल, /हाजीपुर | मुख्यालय कार्यालय/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर | उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर.एण्ड.डब्लू.) पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर |
| 2. | मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सोनपुर | सोनपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं | वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/ सोनपुर |
| 3. | मंडल रेल प्रबंधक / कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर | समस्तीपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं | वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ समस्तीपुर |
| 4. | मंडल रेल प्रबंधक / कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, दानापुर | दानापुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं | वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ दानापुर |
| 5. | मंडल रेल प्रबंधक/कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, धनबाद | धनबाद मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं | वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/ धनबाद |
| 6. | मंडल रेल प्रबंधक/कार्यालय/पूर्व मध्य रेल, डीडीयू | डीडीयू मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं | वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल /डीडीयू |
| 7. | प्लांट डिपो/पूर्व मध्य रेल, डीडीयू | प्लांट डिपो, डीडीयू | वरिष्ठ कारखाना कार्मिक अधिकारी/प्लांट डिपो, पूर्व मध्य रेल/डीडीयू |
| 8. | रेलवे कारखाना/पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर | रेल कारखाना, समस्तीपुर | सहायक कार्मिक अधिकारी/कारखाना, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर |
| 9. | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण कार्यालय पूर्व मध्य रेल, महेन्दुघाट/पटना | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यालय/महेन्दुघाट/पटना | वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण/पूर्व मध्य रेल, महेन्दुघाट/पटना |
| 10. | मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्यालय पूर्व मध्य रेल, हरनौत | मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत | वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत |

COVID की स्थिति में MHA के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार video Conferencing के द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा सकता है। कृपया अपना पूरा विवरण निम्न प्रारूप में संबंधित कार्मिक अधिकारी को दिनांक 31.10.2021 तक समर्पित करें।

- | | |
|--|--|
| 1. आवेदक का नाम:- | 7. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य):- |
| 2. भूतपूर्व कर्मचारी का नाम :- | 8. भू0पू0 कर्मचारी की मृत्यु |
| 3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल:- | 9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान:- |
| 4. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध:- | 10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारी:- |
| 5. वर्तमान पता:- | 11. पेंशन भुगतान आदेश सख्या (प्रति संलग्न):- |
| 6. सेवानिवृत्ति की तिथि:- | 12. शिकायतो का विस्तृत विवरण:- |

आवेदक का हस्ताक्षर

अपनी शिकायत एक लिफाफा में ऊपर दिये गये प्रारूप में जिसके ऊपर पेंशन अदालत 15.12.2021 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित कार्मिक अधिकारी को दि० 31.10.2021 तक अथवा इसके पूर्व अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि वे शिकायतो जो पेंशन से जुडी नहीं है जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तो एवं वेतन की बढ़ोतरी आदि, पेंशन अदालत के विचारनीय नहीं होगी।

15 वर्ष के सेवानिवृत्त जीवन के वर्ष पूरा कर चुके सेवा निवृत्ति रेलवे कर्मचारी ध्यान दें :

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + संराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया, पेंशन वितरण पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधा सम्पर्क करें।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/बिल
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

NOTICE FOR PENSION ADALAT – 15.12.2021
Last date of receipt of grievance 31.10.2021

*Pension Adalat will be organized on 15.12.2021 at 11.00 am for setting of the grievamces pertaining to pension .
(On the sport redressal) in the following venues-*

| SL. | Venues of Pension Adalat | For those who retired from | Grievances should be submitted to the Office of: |
|-----|---|--|---|
| 1 | Zonal Office (HQ) /Hajipur | General Manager 's Office/ECR/Hajipur | Dy.CPO(IR&W), East Central Railway, Hajipur |
| 2 | Divisional Railway Manager 's office, Sonpur | Sonpur Division and non - divisionalised establishments situated within division | Senior Divisional Personnel Officer, EastCentral Railway, Sonpur . |
| 3 | Divisional Railway Manager 's office, Samastipur | Samastipur Division and non - divisionalised establishments situated within division | Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Samastipur |
| 4 | Divisional Railway Manager office's, Danapur | Danapur Division and non - divisionalised establishments situated within division | Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Danapur |
| 5 | Divisional Railway Manager office's, Dhanbad | Dhanbad Division and non - divisionalised establishments situated within division | Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Dhanbad |
| 6 | Divisional Railway Manager office's, DDU | DDU Division. and non -divisionalised establishments situated within division | Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, DDU |
| 7 | Chief Workshop Manager's office Plant Depot, DDU | Plant Depot, DDU | Senior Personnel Officer/work., Plant Depot, East Central Railway, DDU |
| 8 | Chief Workshop Manager Office's ,Workshop, Samastipur | Railway Workshop, Samastipur | Assitt. Personnel Officer , East Central Railway, Samastipur, Workshop, |
| 9 | Chief Administrative Officer/ CON's office Mahendrughat Patna | Chief Administrative Officer /Con office/ Mahendrughat Patna | Senior Personnel Officer /Con. Construction CAO (Con) office, East Central Railway, Mahendrughat , Patna. |
| 10 | Chief Workshop Manager's ,Harnaut | Chief Workshop Manager , Carriage Repair Workshop ,Harnaut | Senior Personnel Officer, Carriage Repair Workshop , East Central Railway, Harnaut |

In the event of covid, Pension Adalat can be organized through video conferencing as per the guidelines given by the MHA. Pensioners may submit their grievances in the following FORMAT to the concerned Personnel officer mentioned above up to 31.10.2021

1. Name of the applicant:-
2. Name of the ex. Employee:-
3. Designation & Last place of posting:-
4. Relation of application with ex. Employee:-
5. Present postal address:-
6. Date of retirement:-
7. Whether normal/voluntary/compulsory retirement:-
8. Date of death of ex. Employee:-
9. Last pay drawn and scale of pay:-
10. Controlling Officer at the time of retirement:-
11. Pension Payment order No. (enclose Xe-Rox copy):-
12. Details of grievances:-

(Signature of applicant)

Representation in the above FORMAT should be sent in an envelope having superscribed with Pension Adalat-15.12.2021 so as to reach the concerned Personnel officer latest by 31.10.2021.

Please note that grievances not connected with final settlement dues such as request for compassionate ground appointment/employment of wards, payment of time barred salary, allowances and stepping of pay etc. do not come within the perview of the " PENSION ADALAT". Representation regarding pension /settlement payment only will be entertained.

ATTENTION FOR RETIRED RLY. EMPLOYEES WHO HAVE COMPLETED 15 YEARS OF RETIRED LIFE

Retired Railway employees may please directly contact pension-disbursing authority (i.e Bank/Post office etc.) for payment of full pension (Present pension + commuted amount) on completion of 15 years from the date of commutation.

Sr. Personnel Officer /Bill
East Central Railway Hajipur